# कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
## मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 417 / तकनीकी / 2007 भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2007.

प्रति,

समस्त कलेक्टर

मध्यप्रदेश.

विषय :— पट्टे पर दी गई भूमि से संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन करने तथा इन पर स्टाम्प शुल्क चुकवाये जाने बाबत् ।

———0———

जिलों में प्रतिवर्ष शासकीय भूमि के पट्टे गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं को प्रदान किये जाते है । इन पट्टों की अवधि प्रायः 30 वर्ष की होती है । सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 107 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधानित है कि ''स्थावर संपत्ति के वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकत लिखत द्वारा किया जा सकेगा ''।

स्पष्ट है कि 30 वर्ष की अवधि के पट्टे प्रदान करने के लिये कोई लिखत लिखे जाने की कानूनी बाध्यता है । अनेक ऐसे मामले प्रकाश में आये है जहां कलेक्टर द्वारा गृह निर्माण मण्डल एवं अन्य संस्थाओं को भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है, किन्तु इससे संबंधित कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है । फलस्वरूप न केवल इससे शासन को स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व की महती हानि हुई है, अपितु उक्त संस्थाओं को वैधानिक रूप से भूमि पर कोई हक भी अंतरित नहीं हुआ है । उल्लेखनीय है कि 30 वर्ष की अवधि के पट्टे पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1—क के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रीमियम की राशि पांच वर्ष के औसत भाटक की राशि पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कृपया आपके जिले में पट्टे पर दी गई समस्त भूमियों के विलेख, विधिवत स्टाम्प शुल्क चुकवाकर पंजीबद्ध करवायें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

**हस्ता / —**
**महानिरीक्षक पंजीयन,**
**मध्यप्रदेश.**

क्रमांक / 418 / तकनीकी / 2007 भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2007.

प्रतिलिपि :—

(1। प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, म0प्र0शासन की ओर सूचनार्थ;

(2) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म0प्र0 शासन की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया सभी अभिकरणों / मण्डलों को उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

**हस्ता / —**
**महानिरीक्षक पंजीयन,**
**मध्यप्रदेश.**